पत्रांक–योजना बजट–289/2025– 6004 /प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक–19/11/2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास के तहत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल–1 अन्तर्गत कलवर्ट, कॉजवे, वाटर होल, मचान एवं ब्रिकेटिंग यूनिट की स्थापना हेतु कुल 1,49,23,242/– (एक करोड़ उन्चास लाख तेईस हजार दो सौ बयालीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास के तहत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल–1 अन्तर्गत कलवर्ट, कॉजवे, वाटर होल, मचान एवं ब्रिकेटिंग यूनिट की स्थापना हेतु कुल 1,49,23,242/– (एक करोड़ उन्चास लाख तेईस हजार दो सौ बयालीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना के पत्रांक–725, दिनांक–17.11.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष–02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष 110–वन्य जीव परिरक्षण, उपशीर्ष 0121–वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास, विपत्र कोड–19–2406021100121 के विषय शीर्ष–0121.02.01–मजदूरी, 0121.21.01–सामग्री एवं पूर्त्तियाँ तथा 0121.27.01–लघु कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल–1, बेतिया होगें तथा राशि की निकासी उनके संबंद्ध कोषागार से की जायेगी।

4. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक–2221 दिनांक–15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत् अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–12 में वर्णित प्रावधान के अधीन स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। सामग्री का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में जहाँ नियमानुसार आवश्यक हो निविदा संबंधी नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।

11. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।

12. संचिका संख्या–289/2025 के पृष्ठ–02/टि० पर दिनांक–18.11.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक–18.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। पृष्ठ–03/टि० पर दिनांक–18.11.2025 को प्रधान सचिव की स्वीकृति एवं पृष्ठ–04/टि० पर दिनांक–19.11.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–289/2025–6004 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक–19/11/2025

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–289/2025–6004 /प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक–19/11/2025

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

## कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी—सह—उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल—1, वेतिया, प0 चम्पारण।

वित्तीय वर्ष 2025—26 के अन्तर्गत राज्य योजना (वन एवं वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास) योजनान्तर्गत कार्यों का प्रस्ताव

| क्र.स. | कार्य का विवरण | प्रक्षेत्र/कार्य स्थल | | ईकाई | इकाई दर | राशि (लाख मे) | अक्षांश/जी0पी0एस0 | | | | | | औचित्य | अनु0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc Culvert | मगुराहा | एस—50 | 1 | 24 95483 | 24 95483 | 27 | 20 | 24 | 84 | 32 | 48 | वन पथ के सुदृढ़ीकरण एवं वन क्षेत्रों मे 24x7 गश्ती हेतु आवश्यक। | Ann.01 |
| | | | एस—50 | 1 | 34 57456 | 34.57456 | 27 | 19 | 49 | 84 | 32 | 51 | | |
| 2 | Creation of New Causeway | गोवर्धना | एस—15 | 1 | 18 39733 | 18.39733 | 27 | 19 | 7 | 84 | 21 | 54 | | Ann.02 |
| | | | एस—14 | 1 | 18 39733 | 18 39733 | 27 | 19 | 35 | 84 | 20 | 50 | | |
| 3 | Creation of new Waterhole | मगुराहा | एस—48 | 6 | 1 98616 | 1.98616 | 27 | 18 | 49 | 84 | 23 | 10 | बाघ अभयारण्य में जलाशय की आवश्यकता वन्यजीवों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होती है। तथा यह शुष्क मौसम में वन्यजीवों की प्यास बुझाने में मदद करता है। | Ann.03 |
| | | | एस—65 | | 1 98616 | 1.98616 | 27 | 18 | 54 | 84 | 23 | 48 | | |
| | | गोवर्धना | एस—19 | | 1 98616 | 1.98616 | 27 | 19 | 28 | 84 | 31 | 50 | | |
| | | | एस—24 | | 1 98616 | 1.98616 | 27 | 17 | 59 | 84 | 38 | 27 | | |
| | | रघिया | आर—44 | | 1.98616 | 1.98616 | 27 | 18 | 20 | 84 | 15 | 33 | | |
| | | | आर—58 | | 1 98616 | 1.98616 | 27 | 17 | 31 | 84 | 16 | 31 | | |
| 4 | एम.एस. मचान का निर्माण | मंगुराहा | Manguraha | 30 | 60000 00 | 18.0000 | 27 | 18 | 9 | 84 | 31 | 5 | कृषि क्षेत्र के पास मचान से फसलों और किसानों की सुरक्षा में मदद मिलती है। जंगली जानवरों से बचाव होता है। मचान से किसान अपने खेतों की निगरानी कर जंगली जानवरों से बचाव कर सकते हैं। | Ann.04 |
| | | | Manpur | | | | 27 | 16 | 50 | 84 | 37 | 20 | | |
| | | | Manpur | | | | 27 | 17 | 34 | 84 | 38 | 27 | | |
| | | | Manpur | | | | 27 | 16 | 35 | 84 | 37 | 56 | | |
| | | | Manpur | | | | 27 | 18 | 40 | 84 | 28 | 3 | | |
| | | | Manpur | | | | 27 | 18 | 33 | 84 | 28 | 10 | | |
| | | | Manpur | | | | 27 | 16 | 55 | 84 | 37 | 5 | | |
| | | | Jamholi | | | | 27 | 14 | 53 | 84 | 39 | 13 | | |
| | | | Jamholi | | | | 27 | 16 | 36 | 84 | 37 | 54 | | |
| | | | Manpur | | | | 27 | 17 | 36 | 84 | 38 | 22 | | |
| | | गोवर्धना | Gobardhana | | | | 27 | 18 | 34 | 84 | 25 | 42 | | |
| | | | Gobardhana | | | | 27 | 18 | 6 | 84 | 25 | 19 | | |
| | | | Gobardhana | | | | 27 | 18 | 39 | 84 | 18 | 59 | | |
| | | | Gobardhana | | | | 27 | 17 | 40 | 84 | 19 | 48 | | |
| | | | Gobardhana | | | | 27 | 18 | 9 | 84 | 20 | 12 | | |
| | | | Gobardhana | | | | 27 | 17 | 59 | 84 | 21 | 56 | | |
| | | | Gobardhana | | | | 27 | 18 | 43.28 | 84 | 21 | 2.16 | | |
| | | | Gobardhana | | | | 27 | 18 | 18 | 84 | 26 | 47 | | |
| | | | Gobardhana | | | | 27 | 18 | 23 | 84 | 23 | 41 | | |
| | | | Gobardhana | | | | 27 | 17 | 33 | 84 | 24 | 58 | | |
| | | रघिया | Aurahiya | | | | 27 | 17 | 6 | 84 | 15 | 35 | | |
| | | | Serwa | | | | 27 | 19 | 49.746 | 84 | 12 | 4.19 | | |
| | | | Aurahiya | | | | 27 | 17 | 1 | 84 | 15 | 51 | | |
| | | | Serwa | | | | 27 | 22 | 2 | 84 | 11 | 38 | | |
| | | | Bankatwa | | | | 27 | 22 | 47 | 84 | 11 | 36 | | |
| | | | Bankatwa | | | | 27 | 22 | 56 | 84 | 11 | 27 | | |
| | | | Aurahiya | | | | 27 | 16 | 52 | 84 | 16 | 14 | | |
| | | | Narkatiya | | | | 27 | 23 | 31 | 84 | 11 | 18 | | |
| | | | Raghia | | | | 27 | 19 | 44 | 84 | 13 | 40 | | |
| | | | Bankatwa | | | | 27 | 22 | 16 | 84 | 11 | 45 | | |

(106)

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | प्रक्षेत्र/कार्य स्थल | | ईकाई | इकाई दर | राशि (लाख में) | अम्युक्ति/जी0पी0एस0 | | | | | | औचित्य | अनु0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Briquetting Unit | गोवर्धना | S-3 | 1 | 2299141.00 | 22.99141 | 27 | 19 | 35.49 | 84 | 18 | 35.61 | जंगल पर जलावन हेतु आरक्ष्य के समीप अवस्थित ग्रामों के ग्रामीणों के निर्भरता को कम करने के लिए। | Ann.05 |
| GRAND TOTAL | | | | | | 149.23242 | | | | | | | | |

Submitted for Rs. 14923242.00 (One Crore Forty Nine lakh Twenty Three Thousand Two Hundred Forty Two only)

वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उपनिदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य प्रमंडल–1, बेतिया

Technical sanction accord ...ned for Rs. 14923242.00 (One Crore Forty Nine lakh Twenty Three Thousand Two Hundred Forty Two only)

Conservator of Forests-cum-Field Director,
Valmiki Tiger Reserve, W. Champaran, Bettiah